न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 96 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/105)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 13.09.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री आशाराम पिता कचरिया ढ़ोली, निवासी मोटा धामनिया, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़।
2. श्री शंकरलाल पिता कचरिया ढ़ोली, निवासी मोटा धामनिया, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़।
3. श्री नारायण पिता कचरिया ढ़ोली, निवासी मोटा धामनिया, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
   राजकीय अभिभाषक
2. श्री भरत सनाढ्य – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपलखूंट
के प्रकरण संख्या 124 / 2018 निर्णय दिनांक 05.08.2019 एवं
आदेश क्रमांकः– अभियान / 2019 / 179 दिनांक 11.09.2019

निर्णय

दिनांक 13.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट के प्रकरण संख्या 124 / 2018 निर्णय दिनांक 05.08.2019 एवं आदेश क्रमांकः– अभियान / 2019 / 179 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध दिनांक 24.02.2021

को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की मौजा ग्राम मोटा धामनिया, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 9 नया 7 पुराना के खसरा संख्या 26, 40, 41, 129, 547, 615, 914, 1019 है, जिस पर रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण निर्बाध रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में "आशाराम, शंकरलाल, नारायण पिता कचरिया, ढ़ोली दमामी, सा. देह खातेदार अंकित है" तथा जाति ढ़ोली भील अंकित नही किया गया है, जिस कारण रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण को जाति के संबंध में कठिनाई का सामना करना पड रहा है। रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य है। अतः राजस्व अभिलेख में "आशाराम, शंकरलाल, नारायण पिता कचरिया, ढ़ोली भील, सा. देह अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 124/2018 निर्णय दिनांक 05.08.2019 से रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश क्रमांक अभियान/2019/179 दिनांक 11.09.2019 जारी किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.08.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ संलग्न राज. सरकार के विभिन्न परिपत्रों एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के निर्देशों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने रावजी एवं रकमा को पेश किया। बयान कलमबद्ध किए गए। तहसीलदार, पीपलखूंट ने भी अपने जवाब में ढ़ोली भील के राजस्व रिकार्ड में एकरूपता नहीं होने से कही भील, कही ढ़ोली दर्ज है। ढ़ोली को ढ़ोली भील करने से एकरूपता रहेगी।***

तमाम बयानों, परिपत्रों एवं सामा. स्वीकारोक्ति उपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी भील समुदाय से संबंधित है जिसके पूर्वज शादी समारोह में ढ़ोल बजाने का कार्य करने से वे ढ़ोली कहलाते रहे जो की राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया जबकि वास्तव में प्रार्थी भील श्रेणी का ही है और तत्संबंधित सामाजिक रीति रिवाज निभाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में श्री आशाराम, शंकरलाल, नारायण पिता कचरिया, तुलसी बेवा कचरिया ढ़ोली दमामी सा. देह खातेदार के स्थान पर श्री आशाराम, शंकरलाल, नारायण पिता कचरिया, तुलसी बेवा कचरिया ढ़ोली भील सा. देह खातेदार संशोधित किया जावें। तहसीलदार पीपलखूंट को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने के आदेश दिये जाते है, उपरोक्तानुसार क्रमांकः— अभियान/2019/179 दिनांक 11.09.2019 से आदेश जारी किया गया।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री मुरलीधर पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत सनाढ्य उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 31.08.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि डिक्रीधारक अर्थात श्री आशाराम वगैराह ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में एक निगरानी जिसका प्रकरण संख्या 3111/2020 अनवान आशाराम वगैरह बनाम सरकार तारीख फैसल 13.11.2020 की कार्यवाही न्यायालय अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ में विचाराधीन रैफरेन्स प्रकरण को छिपाते हुए अविधिक रूप से संपादित की है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा भी उक्त प्रकरण में युक्ति युक्त सुनवाई के प्राकृतिक सिद्धांत की पालना किए बगैर, बिना अपीलांट को सुने प्रकरण एक पक्षीय विचारण कर निर्णय पारित किया है। निर्णय एक पक्षीय, बिना अपीलांट को सुने और साक्ष्य एवं सबुत के अवसर

नही दिये जाने के कारण सर्वदा अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विवादित आदेश दिनांक 11.09.2019 की पालना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लघंन होगा चूंकि प्रार्थीगण/खातेदारान के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज जाति सूचक शब्द दमामी ढ़ोली, दमामी (ढ़ोली) अनुसूचित जाति **(SC)** संवर्ग में आता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पालना अनुसार जाति सूचक शब्द दमामी, ढ़ोली, दमामी (ढ़ोली) के स्थान पर ढ़ोली भील दर्ज किये जाने की स्थिति में जाति सूचक शब्द अनुसूचित जनजाति संवर्ग **(ST)** में परिवर्तित हो जाएगी। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में विहित प्रावधानों अनुसार किसी भी राजस्व रेकार्ड में दौराने पैमाईश अथवा अंतरण, हस्तांतरण, तरमीम, आदेश अमल दरामद पालना में लिपिकीय अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण व्यत्पन्न त्रुटियों को ही सुधारा जा सकता है तथा अधिक से अधिक किन्हीं पक्षकारों के राजस्व रेकार्ड में दर्ज जाति सूचक शब्द को सम्मान सूचक शब्द में जाति संवर्ग परिवर्तन (अमात बिना परिवर्तन) के साथ सुधार किये जाने के आदेश प्रसाारित किये जा सकते है, परंतु किसी भी प्रकृम में जाति संवर्ग का संशोधन धारा 136 के माध्यम से नही किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति/खातेदार/पक्षकार की जाति संवर्ग के परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार के विधिवत् प्रस्ताव उपरांत केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से ही संभव है। उपरोक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.12.1995, 25.08.2009, 01.11.1996, 25.10.2017, 17.03.2009 के द्वारा जातिगत नाम त्रुटि/शुद्धि हेतु निर्देश प्रदान करते हुए धारा 136 LR ACT 1956 तथा नियम 369 LRA 1957 के तहत संशोधन हेतु प्रस्तावित किये है किन्तु उक्त दिशा–निर्देश/परिपत्रों का उद्देश्य जातिगत नाम त्रुटि/शुद्धि अथवा सम्मान सूचक शब्दों तक सिमित रहा है न की जाति संवर्ग परिवर्तन हेतु लागु किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र डिक्रीधारक के सामान्य आवेदन एवं अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र पत्रों एवं शपथ पत्रों के आधार पर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 तथा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में विहित समुचित प्रावधानों अवधारणों के प्रमाणिकरण विचारण

की सीमा को अमल में लाये बिना ही अविधिक तरीके प्रत्यायोजन करते हुए विवादित निर्णय/डिक्री दिनांक 11.09.2019 को श्री आशाराम वगैराह के पक्ष में जारी की गई, जो किन्ही भी परिस्थितियों में मान्य/पालना योग्य नहीं है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण में डिक्रीधारक श्री आशाराम वगैराह द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज/परिपत्रों एवं मनगढ़ंत व्यादेशों की परिकल्पना आधार मात्र पर निर्णय किया गया है जो विधिसंगत नही होने से सर्वदा अपास्त है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णिय में उल्लेखित निम्न परिपत्रों/अधिसूचनाओं को गलत तरीके से इन्टरप्रिटेट किया गया है। निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सविच, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्पष्टीकरण परिपत्र दिनांक 22.06.2018 के पैरा संख्या 4 में जाति प्रमाण पत्र हेतु अधिकृत सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि ढ़ोली जाति की उपजातीय व अन्य उपजातीय वर्ग जैसे नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) के नाम से जाने जाते है तथा राजस्व रेकार्ड अन्य रेकार्ड में इस तरह का उल्लेख मिलता है, तो आवेदन करने पर ढ़ोली जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी किया जावें। श्री आशाराम की राजस्व रेकार्ड में जातियां दमामी, ढ़ोली दमामी (ढ़ोली) अंकित है, जो स्पष्टतः अनुसूचित जाति संवर्ग में आते है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय को नजीर मानते हुए अन्य व्यक्ति भी इसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास करेगें, इस प्रकार तहसील क्षेत्र में जिनकी संख्या सैंकडों है, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 05.11.1956 में राजस्थान राज्य प्रकाशन में भील ढ़ोली अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचि की क्रम संख्या 3 (3) पर दर्ज है। कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार खण्ड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर की रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जातियों एवं 50 प्रतिशत रिक्तियां पर किसी भी जाति या वर्ग अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी को योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम नियमानुसार की जाएगी। इसके अलावा

भारत सरकार द्वारा राजस्व के अनुसूचित क्षेत्रों (भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र आदेश 2018 दिनांक 19.05.2018 में अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र का पुनः निर्धारण किया गया है।) राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों अनुसूचित क्षेत्र में उनके लागू होने के उपरांत) अधिनियम 1999 की धारा 3 के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्ष के समस्त पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अतएवं अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना से आरक्षण की लालसा के अन्य वाद कारण उतपन्न होंगे, जिसमें राजनैतिक पद, राज्य सेवाओं में प्रवेश व अन्य सभी प्रकार के लाभ शामिल है। अतः साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित होकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपलखूंट द्वारा दिनांक 05.08.2019 से पारित निर्णय उपरांत आदेश क्रमांकः– अभियान/2019/179 दिनांक 11.09.2019 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.09.2019 को भी माना जायें। हालांकि आदेश 05.08.2019 को किया जा चुका है परन्तु उसकी तामील के लिए आदेश दिनांक 11.09.2019 को जारी हुआ है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.12.2021 को प्रस्तुत की गयी है एवं मियाद कण्डोन करने के लिए अपीलाण्ट द्वारा जो आवेदन किया गया है, उसमें यह वर्णित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही बिना किसी विलम्ब के अपील प्रस्तुत की जा रही है, पूर्व में निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ से निर्देश प्राप्त कर रेफरेंस प्रस्तुत करया एवं विपक्षी द्वारा रेफरेंस का जबाब देते हुए उसके तथ्यों को छुपाकर राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की। निगरानी के आदेश के विरूद्ध पुनः जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ से अनुमति प्राप्त कर डबल बैंच में निगरानी

प्रस्तुत करवायी गयी। उसके पश्चात् उक्त प्रकरण में कोरोना महामारी के चलते राजकार्य में व्यस्त रहे। अपीलाण्ट द्वारा मियाद कण्डोन किये जाने के लिए भ्रामक तथ्य दिये गये हैं जो उचित नहीं है कि उन्हें अपील के निर्णय की पूर्व जानकारी नहीं थी। अपील के निर्णय की जानकारी होने के बाद उसके द्वारा रेफरेंस प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्व मण्डल में डबल बैंच में अपील की गयी फिर भी प्रकरण में तथ्यों के दृष्टिगत विधिक निर्णय के दृष्टिगत अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर न्यायहित में मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोंडेण्ट के इन्द्राज दुरूस्ती के आवेदन के साथ घोषणात्मक राहत चाही जाने हेतु धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय में सिर्फ इन्द्राज दुरूस्ती का वाद मानकर प्रस्तुत की गयी है। हालांकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की तरह ही साक्ष्य भी ली गयी है। हम यदि इस प्रकरण को इन्द्राज दुरूस्ती का ही प्रकरण माने तो भी इस प्रकरण के महत्वपूर्ण दृष्टव्य अभिव्यक्त तथ्य निम्नानुसार है :–

1. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट के आवेदन पर अपीलाण्ट स्वयं की ओर से दिनांक 02.08.2019 को सहमति का जबाब दिया गया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि सहमति का जबाब देने के बाद क्या अपील **Lie** होती है, जबाब विधिनुसार नकारात्मक ही होगा।

2. सहमति के आधार पर एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया गया, उसमें बकौल अपीलाण्ट उसने स्वयं इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहां रेफरेंस प्रस्तुत किया। अपील प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा। अपील के स्थान पर रेफरेंस क्यों किया, यह स्पष्ट नहीं है।

3. अपीलाण्ट स्वयं द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा जो रेफरेंस प्रस्तुत किया गया, वह माननीय राजस्व मण्डल द्वारा धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिये गये

आदेशों के क्रम में अपीलाण्ट के रेफरेंस की कार्यवाही अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा ड्रॉप कर दी गयी है। यदि अपीलाण्ट के रेफरेंस प्रकरण की कार्यवाही अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के आलोक में ड्रॉप कर दी गयी तो उसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा क्यों नहीं की गयी, यह प्रश्न भी अनुत्तरित है। अपीलाण्ट का रेफरेंस खारिज होने के बाद इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना निसंदेह वाद बहुलता बढ़ाने की कार्यवाही है।

4. प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल में प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट द्वारा धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो निर्णय किया गया, उसमें उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना के लिए ही वर्णित नहीं किया गया बल्कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि भी की गयी है एवं अपीलाण्ट स्वयं भी इसे मानता है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि कर दी क्योंकि उसने माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ के आदेश की डबल बैंच में जो अपील प्रस्तुत की है, उसकी कलम संख्या–य में स्वयं यह वर्णित किया है कि –

''माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2020 द्वारा उक्त प्रकरण को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर दी।''

प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा किये गये निर्णय में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि कर देने के तथ्य अभिलिखित है एवं अपीलाण्ट स्वयं इस तथ्य को डबल बैंच में अपील प्रस्तुत करते वक्त स्वीकार करता है कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा की जा चुकी है। यह न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल के अधीनस्थ न्यायालय है एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपखण्ड अधिकारी के किसी निर्णय की पुष्टि की जा चुकी हो तो उसके गुणावगुण पर यह न्यायालय किसी प्रकार की टिप्पणी करने को सक्षम नहीं रहता एवं इस न्यायालय को जिस प्रकरण में इस न्यायालय पर किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की इस न्यायालय के उच्चतर

न्यायालय ने पुष्टि कर दी हो तो उस निर्णय पर इस न्यायलय को अपील सुनने की श्रवणाधिकारिता ही नहीं रहती एवं इस न्यायालय को कोई भी निर्णय इस न्यायालय के अपीलीय न्यायालय से पृथक करने की इस न्यायालय की सक्षमता नहीं है, तद्नुसार इस अपील की श्रवणाधिकारिता माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ के निर्णय एवं अपीलाण्ट स्वयं द्वारा डबल बैंच में उपरोक्तानुसार वर्णितानुसार मान लेने के कारण अब इस न्यायालय की श्रवणाधिकारिता नहीं है।

प्रकरण में आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि अपीलाण्ट द्वारा सहमति का जबाब दिया है तत्पश्चात् रेफरेंस प्रस्तुत करता है। रेफरेंस की कार्यवाही ड्रॉप/खारिज हो जाती है, उसकी अपील नहीं करता एवं माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध डबल बैंच में स्पेशल अपील भी प्रस्तुत करता है एवं इसके बाद इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करता है तो अपीलाण्ट का यह कृत्य सामान्य विवके से परे है एवं वाद बाहुल्य बढ़ाने का है। जब इस न्यायालय की अपीलीय न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा उपखण्ड अधिकारी के किसी निर्णय की पुष्टि की जा चुकी है तो अपीलाण्ट के लिए विधिक अनुतोष माननीय एकल पीठ के निर्णय की अपील प्रस्तुत करना ही होता है, जो उसके द्वारा की जा चुकी है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आलोक में हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी इस अपील में इस न्यायालय की श्रवणाधिकारिता ही नही है एवं तद्नुसार अपील श्रवणाधिकारिता विहीन एवं सक्षमता विहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर